तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 194/2025 (2025/457) अनवान जस्साराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 259/1 वाके राजस्व ग्राम लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम जस्साराम के स्थान पर बोलता नाम जसराज दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जस्साराम है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश जस्साराम के स्थान पर जसराज दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जिससे कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुषित हो गये है तथा प्रार्थी के नाम से वोटर आईडी कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि जो दस्तावेज बने हुए है उनमें भी प्रार्थी का नाम जस्साराम ही दर्ज है जिससे कि प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि के कृषि खराबे के मुआवजे व केसीसी लेने में हर बार दिक्कत आती है तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा संख्या 259/1 वाके राजस्व ग्राम लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में जो प्रार्थी का नाम जसराज पुत्र पूनाराम दर्ज है उसके स्थान पर जस्साराम पुत्र पूनाराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरील जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2026/1441 दिनांक 21.04.2026 के जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम लूणी के खसरा संख्या 259/1 रकबा 2.9785 में जसराज पुत्र पुनाराम जाति पिटल के हिस्से में 1/2 (हिस्सा) कृषि भूमि जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, में नाम जस्साराम पु पूनाराम लिखा हुआ है। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण संख्या 905 द्वारा जरिये वसीयतनामा दिनांक 12.10.98 के द्वारा आया है जिसमें जसराज पिता पूनाराम कौम पिटल लिखा हुआ है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में वसीयतनामा के अनुसार आया है जमाबंदी चौसाला में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। प्रार्थी के अपने अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपनी सुविधानुसार नाम परिवर्तन करवाना चाहता है। हमने पत्रावली मय दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 259/1 वाके राजस्व ग्राम लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में प्रार्थी का जसराज पुत्र पूनाराम के स्थान पर जस्साराम पुत्र पूनाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	